राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश
(लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,मध्य प्रदेश शासन)

नियम पुस्तिका

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, पब्लिक हैल्थ मैनेजर, कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार, एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट के चयन के लिए

(ऑनलाइन लिखित टेस्ट / व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा)

(2021-2022)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

एनएचएम, म.प्र.,संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31, मार्च 2022 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा :

१. पद का विवरण:

१. १ संविदा पद का विवरण

क्र. स.	पद का नाम	पद का कोड	कुल सीटें	अनारक्षित UR (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS		अनुसूचित जनजाति ST (20%)		अनुसूचित जाती SC (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग OBC (27%)		रिक्तियों में से की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
				ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महि	(VH) (1.5%)	(HH) (1.5%)	(OD) (1.5%)	(MD) (1.5%)
1	**सहायक कार्यक्रम प्रबंधक**	APM-URBAN-NHMMP	23	5	2	1	1	3	1	3	1	4	2	–	1	1	–
2	**पब्लिक हैल्थ मैनेजर**	PHM-NHMMP	32	6	3	2	1	4	2	3	2	6	3	–	1	1	–
3	**कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार**	CPC-NHMMP	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	**एम.आई.एस. डाटा असिसटेन्ट**	MIS-DA-NHMMP	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

- दृष्टिबाधित और कमदृष्टि **(वी एच)**
- बहरे ओर कम सुनने वाले **(एचएच)**
- लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन ,एसडि अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी **(ओडी)**
- ऑटिज्म ,बौद्विक,दिव्यांगता ,स्पेसिफिक, लर्निग डिसेब्रिलेटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता **(एमडी)**
- लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन ,एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी (ओडी) नि:शक्तजनों के लिये, **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक** (APM URBAN) एवं **पब्लिक हैल्थ मैनेजर** के लिये 02-02 पद रिक्तियों में से उक्त पद नि:शक्तजन के लिऐ आरक्षित है, जिस श्रेणी का नि:शक्त इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन नियुक्तियों में सम्मलित है।
- जिन पदों की संख्या १ है ऐसे पदों पर आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जाना है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

समान्य निर्देशों, व्यक्तिगत साक्षात्कार/ लिखित परीक्षा की तारीख और ऑनलाइन एडमिट कार्ड/ हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करके http://www.nhmmp.gov.in/ या www.sams.co.in पर जाएं।

आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत **२०/०१/२०२२ पूर्वाह्न: १२:०१ बजे** से होगी।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **२०/०२/२०२२** को रात **११:५९ बजे** है।

२. शैक्षिक और अन्य पात्रताएँ:

२.१ विवरण

क्र. स.	संविदा पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	मसिक संविदा मानदेय	अनिवार्य एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1	**सहायक कार्यक्रम प्रबंधक (APM URBAN)**	23	30,000/-	**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजिक कार्य/ समाज शास्त्र / समाजिक विज्ञान/ जन स्वास्थ्य में स्नात्कोत्तर (एम.पी.एच.)/ एम.बी.ए **अथवा** किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव । **अनिवार्य कार्य अनुभव** सामाजिक क्षेत्र में शासकीय/गैर शासकीय संस्थाओं के साथ कार्यक्रम प्रबंधन/प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में 4 वर्ष का कार्यानुभव । **अथवा** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव । **अनिवार्य योग्यता** कम्प्यूटर कार्य में दक्षता ।	21-40
2	**पब्लिक हैल्थ मैनेजर**	32	15,000/-	**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री। **वांछनीय शैक्षणिक अर्हता** समाजिक विज्ञान/पब्लिक हैल्थ / एम.एस.डबल्यू/ अन्य विषय में स्नातकोत्तर। **अनिवार्य कार्य अनुभव** स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र/एन.जी.ओ में अनिवार्यतः न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव।	21-40
3	**कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार**	01	40,000/-	**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजिक कार्य/ समाज शास्त्र /समाजिक विज्ञान/ जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर (एम.पी.एच.)/ एम.बी.ए **अथवा** किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि **अनिवार्य कार्य अनुभव** स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र/एन.जी.ओ में अनिवार्यतः न्यूनतम 04 वर्ष का कार्यनुभव । **अनिवार्य योग्यता** कम्प्यूटर कार्य में दक्षता।	21-40

क्र. स.	संविदा पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	मसिक संविदा मानदेय	अनिवार्य एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
4	**एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट**	**01**	**15,000/-**	**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस/आई.टी. से स्नोत्कोतर **अथवा** किसी भी विषय में स्नातक के साथ **AICTE** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए./ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस/आईटी **अनिवार्य कार्य अनुभव** स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र/ एन.जी.ओ./ अन्य संस्था में डाटा मैनेजमेन्ट (डाटा कम्पाईलेशन एवं डाटा विश्लेशण) कार्य में अनिवार्यतः न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव।	**21-40**

२.२. आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- हायर सेकेण्डरी **(10+2)** परीक्षा की अंकसूची।
- अभ्यर्थियों द्वारा जिन उपरोक्त पद हेतु आवेदन किया गया है उक्त पद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय शैक्षिक अर्हता की उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्रे (जिस पद पर आरक्षण लागु हो)
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नही किया जावेगा।
- उपरोक्त योग्यता के लिए केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम **(Full-Time Course)** पर विचार किया जाएगा
- उपर्युक्त सभी पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद के अनुभव **(Post Qualification Experience)** पर विचार किया जाएगा।
- जिन पद के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, उन पदों के लिए केवल पंजीकरण के बाद के अनुभव पर विचार किया जायेगा।

२.३ योग्यता अनुभव और पंजीकरण की गणना के लिये संदर्भ तिथि: 01/01/2022

३. *आयु सीमा: २१-४० वर्ष (*** आयु गणना की संदर्भ तिथि: 01/01/2022)**

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम ५ वर्ष की छूट दी जाएगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित) , और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए ४५ वर्ष की होगी, यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक C 3-8/ 2016/ 1/ 3 दिनांक जुलाई 04, 2019 द्वारा एवं समय-समय पर जारी संसोधन लागू समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण: आयु की गणना के लिए १०वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/ मार्क शीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध/ संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

४. वेतन:

चयन के बाद, उम्मीदवार को **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक**, **पब्लिक हैल्थ मैनेजर**, **कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार**, **एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति माह निर्धारित किये गये मासिक मानदेय दिया जाएगा।

५. आरक्षण नियम:

५. १ मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी;

५.२ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे;

६. आवेदन प्रक्रिया:

६. १ उम्मीदवारों को **२०/०२/२०२२ की मध्यरात्रि ११:५९ बजे तक या उससे** पहले **स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** (**सैमस**) के वेबसाइट पर उपलब्ध **ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओएएफ)** को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा;

६.२ उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है;

६.३ आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [*(आस्ट्रिक) से चिह्नित)] प्रदान करना आवश्यक है;

६.४ आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा;

६.५ आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया" है; आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा;

६.६ पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर किया जा सकता है।

६.७ एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाये बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए २-४ दिन (**एनएचएम** की मंजूरी के आधार पर) दिए जाएंगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है;

६.८ सुधार/ अवलोकन अवधि के बाद, जन्म तिथि, श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस,पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा|

६.९ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:

(क) लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन, एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी (ओडी)।

(**ख)** विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधितम **50** प्रतिशत को छोड़कर शेश प्रकार की अस्थिबधिता विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा **60** प्रतिशत स्वीकार्य।

७. चयन प्रक्रिया:

७.१ परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यावहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए;

७.२ उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पदों के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/ या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी, प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य हो जाएगी;

७.३ चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवार को परीक्षा / चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा या किसी भी उम्मीदवार के लिए या अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य माध्यम से चयन में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है;

७.४ उम्मीदवारों को परीक्षा से अयोग्य / निष्कासित कर दिया जाएगा, यदि वे परीक्षा में दुर्व्यवहार करते हैं और परीक्षा के दौरान शांति में बाधा खड़ी करने में शामिल होते हैं;

७.५ यदि उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज प्रदान करते हैं या उनके दस्तावेज बदले/रूपांतरित/जाली हैं, या उन्होंने कोई ठोस जानकारी छिपाई है, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा;

७.६ यदि उम्मीदवार परीक्षा के लिए किसी अभिप्रेरक का उपयोग करते है या करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा;

७.७ कोई भी उम्मीदवार जिसके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला लम्बित /संस्थित है या अदालत द्वारा दंडित किया गया है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा (पात्र नहीं होगा)।

७.७. निर्हता / अभ्यर्थिता रदद करने का अधिकार :-

७.७.१ लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।

७.७.२ प्रतिरूपण किया जाना।

७.७.३ किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।

७.७.४ कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।

७.७.५ रूपांन्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना ।

७.७.६ किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना ।

७.७.७ अनुचित साधन का उपयोग किया जाना । (प्रयास किया जाना)

७.७.८ परीक्षा कक्ष में डयूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।

७.७.९ परीक्षा कक्ष में डयूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लघंन किया जाना।

७.७.१० पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो।

७.७.११ महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति हो।

७.७.१२ कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी जीवित संतान हुई हो।

७.७.१३ अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लंबित है या दण्डित किया गया हो।

७.८ संविदा कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार एवं एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट का चयन प्रक्रिया

७.८.१ **संविदा कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार एवं एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट का चयन ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षत्कार के आधार पर होगा**;

७.८.२ **मिशन निदेशक**, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश** को ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए योग्य उम्मीदवारों को बुलाने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार होगा, टी.ओ.आर. के संदर्भ में न्यूनतम पात्रता किसी भी उम्मीदवार को ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए आमंत्रण का दावा करने के योग्य नहीं बनाएगा;

७.८.३ **संविदा कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार एवं एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट** के चयन के लिए, योग्य उम्मीदवारों का एक सेट स्कोरिंग मानदंड/ मैट्रिक्स पर **1:10** के अनुपात में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी| (कृपया परिशिष्ट-I पर दिए गए स्कोरिंग मैट्रिक्स को देखें)

नोट:
यदि, पात्रता के आधार पर **10** से कम उम्मीदवार ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार योग्य / शॉर्टलिस्ट की उपलब्ध संख्या के साथ किया जा सकता है।

ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षात्कार के पश्चात, **दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में**, **अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी:**

(i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी;
(ii) एक ही जन्मतिथि/ उम्र के अभ्यर्थी होने पर, अनिवार्य **संविदा कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार एवं एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट** के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

७.९ संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं पब्लिक हैल्थ मैनेजर का चयन प्रक्रिया

७.९.१ **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं पब्लिक हैल्थ मैनेजर के चयन के लिए**, **स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस) द्वारा एमसीक्यू (MCQ) आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा (ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा**;

७.९.२ **परीक्षा केंद्र/ शहर:** (१) भोपाल (२) इंदौर (३) ग्वालियर (४) जबिपुर (५) रीवा (६) सागर (७) सतना

नोट: लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की संख्या कम होने की दशा में, **सभी उम्मीदवारों का ऑनलाइन लिखित परीक्षा भोपाल**, **मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा सकता है**|

७.९.३ ई-एडमिट कार्ड को **एसएएमएस** एवं **एनएचएम**, **म. प्र.** की आधिकारिक वेबसाइट www.sams.co.in और http://www.nhmmp.gov.in/ पर से परीक्षा तिथि के सात (७) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ **एस.ए.एम.एस.** एवं **एन.एच.एम.**, **म.प्र.** की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी;

७.९.४ विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं पब्लिक हैल्थ मैनेजर** के पद हेतु पाठ्यक्रम के आधार पर स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस) के माध्यम से **सीबीटी** आधारितऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी; (सीबीटी आधारति ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जायेगा);

७.९.५ **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं पब्लिक हैल्थ मैनेजर** के परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ १०० एम.सी.क्यू. (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न १ अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंकों को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा;

७.९.६ **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं पब्लिक हैल्थ मैनेजर** के लिये ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR/EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिमाण और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा;

७.९.७ उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में, **मिशन निदेशक, एनएचएम, म.प्र.** आवश्यक के रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी:

(i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी;
(ii) एक ही जन्मतिथि/ उम्र के अभ्यर्थी होने पर, अनिवार्य **संविदा कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार एवं एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट** के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

८. स्थान आवंटन (संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं पब्लिक हैल्थ मैनेजर):

८.१ मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा;

८.२ अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय स्थान वरीयता प्रदान सकते हैं;

८.३ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता हूं कि उपरोक्त, स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगा जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर, **एनएचएम**, **म.प्र.** के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम**, **म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूं।

९. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:

(क) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों में संबंधित **मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ)** द्वारा किया जाएगा।

(ख) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण, आदि) भरते समय पूछे गए थे।

(ग) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/ दस्तावेज/ पंजीकरण नहीं हैं, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

(ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

१०. अन्य निर्देश और दिशानिर्देश:

चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/ परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(क) १०वीं या माध्यमिक / उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुए पाठ्यक्रम की वार्षिक / सेमेस्टर वार मार्क शीट।

(ख) नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो तस्वीरें।

(ग) मध्य प्रदेश के उप मंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।

(घ) स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र।

(ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से १५ दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

(च) **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं पब्लिक हैल्थ मैनेजर** के चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।

(छ) उपरोक्त प्रमाणपत्र / दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ज) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/ **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक**, **पब्लिक हैल्थ मैनेजर**, **कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार**, **एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट** के लिए लागू होंगे।

(झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र कार्यग्रहण के समय पर लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ञ) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक **2 जुलाई 2019** के अनुसार लोक सेवा केंद्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

११. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, पब्लिक हैल्थ मैनेजर, कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार, एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट** के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

१२. चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी समय नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा।

मिशन आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।

मिशन संचालक, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**, **मध्य प्रदेश** को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/ सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/ निरस्त करने का अधिकार होगा!

१३. परिभाषाएँ:

१३.१ "चयन परीक्षा" का अर्थ **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक**, **पब्लिक हैल्थ मैनेजर**, **कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार**, **एम.आई.एस.डाटा असिसटेन्ट** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है;

१३.२ आरक्षित श्रेणी का अर्थ: पांच श्रेणियों से उम्मीदवार, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी); या मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अनुसार।

SCORING MATRIX (Applicable for Contractual Community Process Consultant and MIS Data Assistant, 2021-22) **परिशिष्ट-I**
(For Preparing the Merit-list/ Shortlist for Personal Interview)
(Maximum Marks-100)

#	Parameters	Max. Marks	Mark% of Essential Qualification and Additional Essential Experience (in Months)	Score Obtained	Description of Evaluation
1	Essential Qualifications	50	100%	50	Marks shall be awarded based on candidate percentage of mark secured in completion of essential qualification which is required for a position as per ToR. If a candidate has secured 60% marks for her/his qualification which is essential for the position as per the ToR, a total of 30 marks shall be awarded out of 50 Marks. (e.g. 50X60%=30 Marks) **<u>Consideration of Essential Qualification for awarding Marks:</u>** (a) Higher essential qualification shall be considered for awarding marks; (e.g., if an essential qualification is required for any position as B.Sc. Nursing along with any PG Degree, in the event of this PG Degree, shall be considered for awarding marks); (b) In case multiple essential qualifications are required for any position (e.g., MBA/ MSW/ MA Social Sc., etc.) and the candidate possesses more than one similar above degrees, in the event of this candidate shall be awarded the marks based on the degree where s/he secured more marks in comparison to her/his other degree (But the details of such course should be mentioned in the Online Application Form filled by the candidate). **Note:** (a) Document validation team reserve the right for validation of Mark% of the candidate degree and any deviation recorded at the time Document Validation Process may disqualify the candidate. (b) In the case of CGPA grading, the document validation team shall calculate the CGPA in percentage based on grading for which the candidate shall produce documentary proof for the basis of calculation of percentage. If an applicant fails to present the above-supporting documents, he/ she shall be liable for the disqualification/ cancellation of her/ his candidature
2	Essential Experience	50	100% Marks for Additional 200 Months of Essential Experience [Note: No marks shall be awarded on a minimum number of years/ months on essential experience]	50	Total score= 0.25 marks for each month of experience to the maximum of 50 marks. [Note: No marks shall be awarded on minimum number of years/ month onessential experience] (e.g. An Applicant has total 37 months of experienceand essential experience is required of 36 months, in such scenariocandidate shall be awarded mark for only one month, i.e. 1x0.25=0.25 TotalMarks for experience criteria
	Total Marks	**100**		**100**	

Note:
1. The above matrix shall be used for the preparation of the merit list for the further selection process (i.e., Online Personal Interviews).
2. The score obtained by candidates as per the above matrix shall not be carried forward in the preparation of the final selection list. Only personal interviews obtained marks shall be considered for the selection.

परिशिष्ट-II

रिक्त पदों की संख्या एवं संवर्ग

क्रमांक	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	संवर्ग
1	सहायक कार्यक्रम प्रबंधक	23	जिला स्तरीय
2	पब्लिक हेल्थ मैनेजर	32	जिला स्तरीय
3	कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार	01	राज्य स्तरीय
4	एम.आई.एस. डाटा असिस्टेंट	01	राज्य स्तरीय

परिशिष्ट-III

रिक्त स्थानों की जानकारी

1. सहायक कार्यक्रम प्रबंधक के पद हेतु रिक्त जिलों की जानकारी :-

S. No.	District	Vacant No. of post	S. No.	District	Vacant No. of post
1	Betul	01	17	Khargone	01
2	Bhind	01	18	Mandsaur	01
3	Bhopal	01	19	Morena	01
4	Burhanpur	01	20	Narsinghpur	01
5	Chhatarpur	01	21	Neemuch	01
6	Chhindwada	01	22	Ratlam	01
7	Damoh	01	23	Rewa	0
8	Dewas	0	24	Sagar	0
9	Dhar	01	25	Satna	0
10	Guna	01	26	Sehore	01
11	Gwalior	0	27	Seoni	01
12	Hoshangabad	01	28	Shahdol	01
13	Indore	0	29	Shivpur i	01
14	Jabalpur	0	30	Singroli	01
15	Katni	0	31	Ujjain	0
16	Khandwa	01	32	Vidisha	01
Total					**23**

2. पब्लिक हैल्थ मेनेजर के पद हेतु रिक्त जिलों की जानकारी :-

S. No.	District	Vacant No. of post
1	Bhopal	09
2	Indore	07
3	Gwalior	07
4	Jabalpur	06
5	Ujjain	03
Total		**32**

3. कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार के पद हेतु रिक्त स्थान की सूची :-

S. No.	District	Vacant No. of post
1	Bhopal	01
Total		**01**

4. एम.आई.एस डाटा असिस्टेंट के पद हेतु रिक्त स्थान की सूची :-

S. No.	District	Vacant No. of post
1	Bhopal	01
Total		**01**

परिशिष्ट-IV

कार्यदायित्व

1. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक के कार्यदायित्व:

- जिला अर्बन नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिला स्तरीय गतिविधियों के संचालन, वार्षिक कार्ययोजना का नियोजन व निर्माण करना।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी गतिविधियों का नियोजन, प्रबंधन, कार्ययोजना निर्माण, क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग।
- शहरी क्षेत्र मे सामुदायिक गतिविधियों हेतु सहयोग एवं समन्वय कर शहरी आशा का चयन, प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु जिला कम्युनिटि मोबेलाईजर एंव अन्य संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- शहरी क्षेत्र में सामुदायिक गतिविधियों हेतु निर्धारित लक्ष्यों जैसे -यू.एच.एण्ड.डी, टीकाकरण, परिवार नियोजन, ए.एन.सी, महिला आरोग्य समिति का गठन एवं समय समय पर समिति की बैठक में सम्मिलित हो कर समीक्षा करना ।
- संस्थाओं को आवंटित बजट के विरूद्व संस्था द्वारा किये गये व्यय की पुष्टी, समीक्षा करना।
- समस्त शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं का समय-समय पर भ्रमण कर संचालित गतिविधियों की समिक्षा करना।
- शहरी क्षेत्र में संस्था स्तरीय एवं सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं सामाजिक निर्धारकों के सुधार हेतु समन्वय विभागो, एजेंसियों/डोनर पार्टनर्स, नीति निर्माताओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना विकसित करना।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित सभी गतिविधियों - शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के संचालन, सामुदायिक प्रक्रिया संबंधित गतिविधियों के संचालन, शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के आयोजन, स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, आई.ई.सी. गतिविधियों आदि का प्रभावी संचालन, निगरानी और पर्यवेक्षण करना।
- शहरी क्षेत्र में सामुदायिक प्रक्रिया हेतु विभिन्न गतिविधियों- आशा चयन एवं प्रशिक्षण, आशा का मानदेय एवं रिर्पोटिग, मास गठन एवं प्रशिक्षण आशा एवं मास की मासिक बैठको का क्रियान्वयन व मानीटरिंग, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, यू.पी.एच.सी.एवं मास की अनाबद्ध राशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियो का प्रबंधन, कार्ययोजना निर्माण एवं क्रियान्यवन तथा मॉनिटरिंग ।
- शहरी स्वास्थ्य से संबंधित समस्त प्रकार के प्रतिवेदन, सॉफ्टवेयर रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना।
- जिले के शहरी क्षेत्रो की समस्त संस्थाओ मे क़्वालिटी एश्योरेंस (Quality Assurance) संबंधित गतिविधियो जैसे मासिक के.पी.आई. , नेशनल पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट एन्ट्री की समीक्षा , कायाकल्प एवं एन.क्यू.एस. मापदण्ड अनुसार संस्था को विकसित करने हेतु सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदाय करना।
- राज्य कार्यालय द्वारा प्रदाय विभिन्न दिशा निर्देश, स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी) का संस्था स्तर पर क्रियान्वायन करवाना
- कायाकल्प एवं एन.क्यू.एस. मापदण्ड अनुसार संस्था द्वारा किये गये आतंरिक मूल्यांकन रिपोर्ट का विश्लेषण कर राज्य कार्यालय को रिर्पोटिंग करना।
- वरिष्ठ कार्यालय/अधिकारियो द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यदायित्व।

- समस्त शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सेवाओं हेतु संसाधन जैसे उपकरण, दवाईया, कंज्युमेबल, प्रपत्र आदि एवं मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु आवश्यक सहयोग प्रदय करना ।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटर्सोसिंग द्वारा रखे जाने वाले मानव संसाधन जैसे-डेटा एन्ट्री आपरेटर, सुरक्षा कर्मी, मल्टी टास्क वर्कर/सर्पोट स्टॉफ हेतु आउटर्सोस संस्था के चयन एवं अनुबंध हेतु समन्वय करना।
- जिले में कार्यरत पब्लिक हैल्थ मेनेजर, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर/मल्टी टास्क वर्कर एवं शहरी आशाओं का प्रशिक्षण एवं समीक्षा की जाना।
- शहरी स्वास्थ्य की समस्त गतिविधियों संबंधी नस्तियों का संचालन जिला अर्बन नोडल अधिकारी से संमन्वय कर किया जाना।

<u>2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पब्लिक हेल्थ मेंनेजर के कार्यदायित्व:</u>

- शहरी क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का संचालन एवं उनका पर्यवेक्षण करना।
- कर्मचारियों (आशा/ए.एन.एम.)के कौशल/क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण में सहयोग करना।
- आवश्यकतानुसार ड्रग, उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं हेतु समन्वय कर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं का नियमित भ्रमण एवं सर्पोटिव सुपरविजन करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु आशा और समुदाय की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं हेतु क्षेत्र की पहचान करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदाय करना।
- समुदाय के बीच आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान कर संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय करना।
- समुदाय के बीच उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आई.ई.सी. करना।
- शहरी क्षेत्रों में शहरी आशाओं के चयन, महिला आरोग्य समिति के गठन एवं समुदायिक स्तर की संरचनाओं के गठन में सहयोग करना।
- अन्य शासकीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं को सहयोग करना।
- शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित समस्त प्रकार के प्रतिवेदन, सॉफ्टवेयर रिपोर्ट आदि निर्धारित समयावधि में प्रेषित करने में सहयोग प्रदान करना।
- जिले के शहरी स्वास्थ्य संस्थाओ मे क़्वालिटी एश्योरेंस (Quality Assurance) संबंधित गतिविधियो जैसे कायाकल्प एवं एन.क्यू.एस मापदण्ड अनुसार संस्थाओं का समन्वय विभाग के सहयोग से विकसित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
- मातृ स्वास्थ्य सेवायें जैसे ए.एन.सी., पी.एन.सी.आदि सेवाओं की स्वास्थ्य संस्थाओं/सामुदाय में उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- शहरी पोषण दिवस के सत्रों के आयोजन एवं मॉनीटरिंग में सहयोग प्रदान करना।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं सामुदाय से मरीजों के रेफरल हेतु समन्वय/सुविधा उपलब्ध कराना।
- शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले मरीजों हेतु लैब सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हब एण्ड स्पॉक मॉडल लागू करवाना।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं पर स्पेशलिस्ट ऑन कॉल की सेवाओं का लाभ लेने हेतु मरीजों/हितग्राहियों को जागरूक करना तथा सुचारू स्पेशलिस्ट ऑन कॉल की सेवाओं हेतु समन्वय करना।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक संसाधनो कि उपलब्धता एवं उन्नयन के कार्य हेतु समय-समय पर सहयोग प्रदाय करना।

- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं पर कार्यरत स्टॉफ एवं समुदाय में कार्यरत स्टॉफ (ए.एन.एम व आशा) से समन्वय कर संस्थाओं द्वारा दि जा रही सेवाओं के संचालन मे सहयोग करना
- राज्य एवं जिला वरिष्ठ कार्यालय/अधिकारियो द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य शहरी क्षेत्र के कार्यदायित्व का संपादन करना।

<u>3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य संविदा सामुदायिक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण अधिकारी के कार्यदायित्व:</u>

- शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र में सामुदायिक प्रकिया हेतु विभिन्न गतिविधियो के संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- शहरी क्षेत्रो में शहरी आशा के चुनाव तथा महिला आरोग्य समितियों के गठन हेतु मापदण्ड तैयार करना।
- शहरी क्षेत्र में सामुदायिक गतिविधियों के संचालन हेतु प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करना एवं शहरी आशाओं के लिये प्रशिक्षण माड्यूल, हेन्ड आउट्स व आई.ई.सी.सामग्री तैयार करना ।
- शहरी समय पर जिलो की शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं का भ्रमण कर सामुदायिक गतिविधियों की समिक्षा करना
- जिला स्तर से प्राप्त शहरी आशा व महिला आरोग्य समिति की जानकारी को एकत्रित कर संधारित करना एवं समय समय पर आशा पोर्टल की समिक्षा करना।
- शहरी आशा व महिला आरोग्य समिति हेतु र्निधारित वित्तीय प्रवाधान हेतु दिशा निर्देश तैयार करना एवं शहरी आशाओं के भुगतान हेतु जिलो से समन्वय करना।
- शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु सहयोग करना।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यदायित्व का संपादन करना।

<u>4. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एम.आई.एस डाटा असिस्टेंट (शहरी स्वास्थ्य) के कार्यदायित्व:</u>

- विभिन्न साफ्टवेयर अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो संबंधी डाटा व जानकारी एकत्रित करवाना।
- राज्य एम.एण्ड ई. हेतु जिलो से समन्वय कर जानकारी मंगवाना एवं संधारित करना।
- विभिन्न बठैको व कार्यशालाओं की तैयारी हेतु संबंधित जिलो से समन्वय करना एवं बैठक कार्यवाही विवरण तैयार करना।
- जिलो द्वारा शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं संबंधि जानकारी जैसे - समस्त एच.आर डाटा एवं रिक्त पदो की जानकारी, यू.एच.एन.डी. समस्त संस्था यू.पी.एच.सी, सी.डी. एवं संजीवनी क्लीनिक संस्था की जानकारी, ओ.पी.डी प्रति माह एवं कयाकल्प रिपोर्ट आदि जानकारी को कंपाईल कर संधारित करना।
- विभिन्न सॉफ्टवेयर पोर्टल जैसे -एच.एम.आई.एस, आर.सी.एच, एच.एम.आई.एस, मेरा अस्पताल, एन.सी.डी, एच.डबल्यू.सी, आशा, एवं एफ.एम.आई.एस. के तहत शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं की मासिक रिर्पोट/जानकारी समय - समय पर उपलब्ध करना।
- जिला व शहरी कार्यक्रम प्रबंधंन इकाई से शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी विभिन्न जानकारी व रिपोर्ट एकत्रित करना।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यदायित्व का संपादन करना।

नोटः- संविदा पद कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार एवं एम.आई.एस डाटा असिस्टेंट का चयन ऑनलाईन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा ।